

**वन संरक्षण अधिनियम -1980 अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रथम चरण की स्वीकृति लेने
बाबत प्रस्ताव के साथ वांछित जानकारी दस्तावेजों का विवरण (चेक लिस्ट)**

क्र	जानकारी का ब्यौरा	संक्षिप्त विवरण	पृ.क्र.
1	आवेदक संस्थान का नाम	मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	
2	आवेदक संस्थान का स्वरूप (Nature)	sponge iron plant	
3	आवेदक संस्थान का मांग पत्र	संलग्न है।	1
4	प्रपत्र -1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष /पंजीयन क्रमांक)	FP/CG/MIN/11479/2015 पत्र संलग्न है।	2
5	स्थान :- (1) राज्य (2) जिला	छत्तीसगढ़ नारायणपुर	
6	वनो का ब्यौरा :-		
	(1) प्रभावित वन मण्डल का नाम	नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर	
	(2) प्रभावि वन का क्षेत्रफल	66.02	
	(अ) आंशकित वन क्षेत्र	61.87	
	(ब) संरक्षित वन क्षेत्र	—	
	(स) नारंगी वन क्षेत्र	4.15	
	(द) राजस्व वन क्षेत्र	—	
	योग	66.02	
	नक्शे:- 1. डी. जी.पी.एस. नक्शा 2. इन्डेक्स नक्शा/टोपोशीट 1:50000 के स्केल पर 3. परियोजना का ले आउट नक्शा 4. संरक्षित क्षेत्र दर्शाते हुए 10 कि.मी. रेडियस का नक्शा 5. अन्य (कृपया उल्लेख करें)	संलग्न है।	
7	आनलाईन जमा किये गये प्रस्तावों का विवरण		
	(1) क्या नोडल कार्यालय को आनलाईन प्रस्तुत एवं अग्रेषित किया गया है ?	संलग्न है।	
	(2) क्या पूर्ण फार्म - ए आनलाईन अपलोड किया गया	हॉ, संलग्न है।	

	(3) क्या व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र व्यपवर्तन एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए चिन्हांकित क्षेत्रों के के.एम.एल/ शेष फाईल का वेबसाईट पर अपलोड किया है ?	हाँ, सलग्न है।	
	(4) क्या नोडल कार्यालय को आनलाईन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की हार्ड कापी अग्रेषित की गई है ?	हाँ, सलग्न है।	
8	फार्म – ए का ब्यौरा :		
	(1) पार्ट –1 (क्या आवेदक संस्था द्वारा पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है।	सलग्न है।	
	(2) पार्ट– 2 (वन मण्डलाधिकारी की विशिष्ट अनुशंसा के साथ में विशिष्ट शर्तें, यदि हो तो कारण सहित	लागू नहीं	
	(3) पार्ट– 3 (मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट अनुशंसा के साथ में विशिष्ट शर्तें यदि हो तो कारण सहित)	—	
9.	वन मंडलाधिकारी /वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण का विवरण	सलग्न है।	
	(1) उप वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-2, प्रपत्र -3)	सलग्न है।	
	(2) वन मण्डलाधिकारी का स्थल अवलोकन (निरीक्षण टिप्पणी के रूप में) परियोजना विशिष्ट हेतु जो कि निरीक्षण तथा विशिष्ट अनुशंसा के दौरान प्रपत्र में प्रदाय किये गये से भिन्न हो तो विवरण	सलग्न है।	
	(3) मुख्य वन संरक्षक का स्थल अवलोकन (निरीक्षण टिप्पणी के रूप में) परियोजना विशिष्ट हेतु जो कि निरीक्षण तथा विशिष्ट अनुशंसा के दौरान प्रपत्र में प्रदाय किय गये से भिन्न हो तो विवरण	लागू नहीं	
10	प्रस्ताव के पार्ट –1 एवं पार्ट –2 (आनलाईन) में शामिल तथ्यों का विवरण	सलग्न है।	
	1. क्षेत्र की टोपोग्राफी	सलग्न है।	
	2. भू-विज्ञान (Geology)	—	
	3. ढाल (स्लोप)	—	
	4. मृदा की गहराई/अपर्वन संवेदनशीलता	—	

11	वनस्पतियों का विवरण		
	1. प्रजातियवार संयोजन (Composition) (वैज्ञानिक नामों सहित)	सलग्न है।	
	2. घनत्व एवं इको – क्लास	घनत्व-0.5से 0.7 (iii)	
	3. परियोजना में प्रभावित वृक्षों की संख्या (30 से.मी. से क	सलग्न है।	
	4. वृक्षों की संख्या अर्थात् पुराने वृक्ष (आम, बरगद, फाइकस इत्यादि) जो विशेष रूप से सड़क चौड़ीकरण के दौरान संरक्षित रखे जा सके।	—	
12	वन्य प्राणी		
	1. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण, वायोस्पीयर रिजर्व, टायगर रिजर्व एलीफैंट कारीडोर इत्यादि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का विवरण	नहीं	
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र से बाहर दर्शाने हेतु प्रमाण पत्र	सलग्न है।	
	3. क्या क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 10 कि.मी. की दूरी के अंदर स्थित है?	सलग्न है।	
	4. क्या भारत शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत Eco-sensitive Zone को अधिसूचित किया है ?	—	
	5. क्या वनस्पति एवं जीव की कोई दुर्लभ प्रजाति उस क्षेत्र में पाई जाती है अगर हां तो उसका विवरण ?	नहीं	
	6. वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अनुसूची -1 की प्रजातियों का विवरण, अगर कोई हो तो	नहीं	
	7. मुख्य वन प्राणी संरक्षक की टिप्पणी		
	8. संबंधित वन मंडाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी से बाहर /अंदर दर्शाने हेतु प्रमाण पत्र	सलग्न है।	

13	1. क्या कोई संरक्षित पुरातात्विक / धरोहर स्थल (Heritage) / रक्षा संस्थान (Establishment) या कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक उस क्षेत्र में स्थित है ?	नहीं	
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का संरक्षित पुरातात्विक / धरोहर स्थल (Heritage) / रक्षा संस्थान (Establishment) इत्यादि की क्षेत्र में न होने संबंधी प्रमाण पत्र	नहीं	
14	1. क्या वन संरक्षण अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो उस कार्य का विवरण तथा कृत कार्य की अवधि एवं दोषी अधिकारीगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही । क्या कार्य अभी भी प्रगति पर है ?	नहीं	
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने संबंधी प्रमाण पत्र	सलग्न है ।	
15	1. क्या आवेदक संस्थान द्वारा पार्ट - 1 के कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अनिवार्य एवं न्यूनतम है? अगर नहीं , तो आयटमवार अनुशंसित क्षेत्र (विकल्प क्षेत्रों के विवरण की जांच सहित)	—	
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र	—	
16	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत स्वीकृति अपेक्षित है ?	—	
17	वैकल्पिक वृक्षारोपण		
	1. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित भूमि की वैधानिक स्थिति	सलग्न है ।	
	2. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हांकित गैर वन भूमि / बिगड़े वन भूमि का विवरण लगे हुए वन से उसकी दूरी पैच की संख्या एवं प्रत्येक पैच का आकार	लागू नहीं	

	3. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिन्हंकित गैर वन भूमि / बिगड़े वन भूमि एवं लगे हुए वन की सीमा को दर्शाने हेतु नक्शा	लागू नहीं	
	4. विस्तृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना जिसमें रोपण की जाने वाली प्रजातियां क्रियान्वयन समय सारणी लागत ब्यौरा इत्यादि शामिल हो।	सलग्न है।	
	5. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल वित्तीय परिव्यय	सलग्न है।	
	6. वृक्षारोपण एवं प्रबंधन के नजरिये से वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सक्षम अधिकारी एक उपयुक्तता	सलग्न है।	
	7. वैकल्पिक वृक्षारोपण का व्यय वहन करने हेतु आवेदक संस्थान विभाग का वचन पत्र	सलग्न है।	
	8. गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए अनुपलब्धता संबंधी मुख्य सचिव छ.ग.शासन का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)	सलग्न है।	
18	मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	सलग्न है।	
19	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT)	सलग्न है।	
	1. कुल जल ग्रहण क्षेत्र (हे.)	-	
	2. कुल कल्चरण कमांड ऐरिया (हे.)	-	
	3. वित्तीय प्रावधान	-	
20	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का	सलग्न है।	
	1. क्या MoEF & CC के दिशा निर्देश दिनांक 05. 07.2013 में निर्धारित प्रावधानों को जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया है ?	-	
	2. क्षेत्र एवं ग्राम सभा की संख्या जिसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया है	सलग्न है।	
	3. ग्राम सभा के प्रस्ताव / वन अधिकार समितियों का कार्यवाही विवरण	सलग्न है।	

	4. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2017/10-2 दिनांक 12.01.2010)	सलग्न है।	
	5. अनुविभाग स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही	सलग्न है।	
	6. जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही	सलग्न है।	
21	परिक्षण किये गये वैकल्पिक एलाइन्मेंट का विवरण		
	1. प्रस्तावित विकल्प को चयन करने का औचित्य (लीनियर प्रोजेक्ट)	लागू नहीं	
	2. अन्य विकल्पों का नामंजूर करने के कारण (लीनियर प्रोजेक्ट)	लागू नहीं	
	3. गैर वन / शासकीय गैर वन भूमि के परिक्षण का विवरण एवं प्रतिवेदन (नान लीनियर प्रोजेक्ट)	सलग्न है।	
	4. परियोजना को वन क्षेत्र में चुनने की अनिवार्यता को औचित्य	लौह अयस्क हेतु	
	5. गैर वन / राजस्व भूमि का अनुपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र	सलग्न है।	
22	परियोजना विशिष्ट (Specific) विवरण		
	1. RoW मौजूदा एवं प्रस्तावित (लीनियर प्रोजेक्ट)	लागू नहीं	
	2. Horizontal एवं Vertical Cross sectional नक्शा (लीनियर प्रोजेक्ट)	लागू नहीं	
	3. RoW में औषधीय पौधों की रोपण योजना का क्षेत्रफल एवं विवरण (ट्रांसमिशन लाईन एवं पवन ऊर्जा	लागू नहीं	
	4. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा 3 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CDC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010)	लागू नहीं	
	5. जलमग्न क्षेत्र, कमाण्ड क्षेत्र बांध की ऊंचाई FRL, DRL इत्यादि (सिंचाई / जल विद्युत परियोजना हेतु)	लागू नहीं	

	7. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	सलग्न है।	
23	विस्थापितों का पुर्नवास	—	
	1. प्रभावित परिवारों की संख्या	—	
	2. परिवारों की श्रेणी (Category)	—	
	3. पुर्नवास योजना का विवरण	—	
24	कार्ट बेनिफिट राशियाँ	सलग्न है।	
	1. कुल लाभ	—	
	2. कुल लागत / वनों की क्षति	—	
	3. अनुपात	—	
25	परियोजना की कुल लागत	1200 लाख	
26	रोजगार क्षमता		
	1. निर्माण अवस्था / अस्थायी (कुल श्रम दिवस) अ. प्रत्यक्ष (कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)	—	
	2. निर्माण पश्चात / स्थायी कुल श्रम दिवस अ. प्रत्यक्ष (कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)	—	
27	जिले की रूपरेखा (Profile)		
	1. जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	3165.882 वर्ग कि.मी.	
	2. कुल वन क्षेत्र / वनमंडलों के अधीन वन क्षेत्र	114868.640	
	3. 1980 से कुल व्यपवर्तित क्षेत्र एवं प्रकरणों की संख्या	सलग्न है।	
	4. 1980 से निर्धारित वैकल्पिक वृक्षारोपण अ. वन भूमि ब. वन भूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण स. गैर वन भूमि	— — — —	
	5. आज की स्थिति में वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रगति अ. वन भूमि ब. वन भूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण स. गैर वन भूमि	— — — —	

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर